

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी

मि०न० - 20/2023

शुनवान :-

1. मोनू पुत्र स्व श्री रतनसिंह पुत्र श्री बलवन्त उर्फ बलवन्त जाति निवासी ग्राम राजपुरा तहसील त० भादरा।

वादी

बनाम

1. बलवान उर्फ बलवन्त पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र बलवान उर्फ बलवन्त जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा त० भादरा।
3. संजय मारू पुत्र स्व० श्री रतनसिंह बलवन्त उर्फ बलवन्त जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा तहसील त० भादरा।
4. ईमरती पुत्री बलवान पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी राजपुरा त० भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान
कास्ताकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश वैनीवाल वादी
श्री सतवीर वैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 24/05/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 48/114 के मु०न० 37 के किला न० 24/1, 25/1 मु०न० 38 के किला न० 21/1 मु०न० 47 के किला न० 1, 10 मु०न० 48 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6, 7, की कुल 1.790है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 52/26 के मु०न० 16 के किला न० 11/2, 12/1, 13/2, 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1 मु०न० 37 के किला न० 16/3, 16/4, 17/2, 24/2, 25/3, 25/4 मु०न० 38 के किला न० 20/2, 21/2 की कुल 2.5660है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 701/5132 हिस्सा व इसी प्रकार चक 11 बीएचडी के खाता सं० 12/30 के मु०न० 46 के किला न० 14 ता 18 की कुल 1.2650है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा व चक राजपुरा बाराणी के खाता सं० 15/21 के मु०न० 38 के किला न० 11, 12, 19 ता 22 मु०न० 39 के किला न० 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20 की कुल 6.0330है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं डोभी बाराणी के खाता सं० 52/36 के मु०न० 213 के किला न० 11 ता 14, 17 ता 24 मु०न० 214 के किला न० 11, 12, 14 ता 20, 22 ता 25 की कुल 6.3000है० बाराणी में प्रतिवादी सं० 1 नाम 1069/6300 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भाग न्यायालय (राजपुरा तहसील)


वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है।

वादी ने अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 5 को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 48/114 के मु०न० 37 के किला न० 24/1, 25/1 मु०न० 38 के किला न० 21/1 मु०न० 47 के किला न० 1, 10 मु०न० 48 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6, 7, की कुल 1.1790 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 52/26 के मु०न० 16 के किला न० 11/2, 12/1, 13/2, 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1 मु०न० 37 के किला न० 16/3, 16/4, 17/2, 24/2, 25/3, 25/4 मु०न० 38 के किला न० 20/2, 21/2 की कुल 2.5660 है० नहरी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 701/5132 हिस्सा व इसी प्रकार चक 11 बीएचडी के खाता सं० 12/30 के मु०न० 46 के किला न० 14 ता 18 की कुल 1.2650 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा व चक राजपुरा बरानी के खाता सं० 15/21 के मु०न० 38 के किला न० 11, 12, 19 ता 22 मु०न० 39 के किला न० 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20 की कुल 6.0330 है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं डोभी बरानी के खाता सं० 52/36 के मु०न० 213 के किला न० 11 ता 14, 17 ता 24 मु०न० 214 के किला न० 11, 12, 14 ता 20, 22 ता 25 की कुल 6.3000 है० बरानी में प्रतिवादी सं० 01 नाम 1069/6300 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हमें अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं० 1 के पुत्र रतनसिंह के फौत होने पर उसके जायज वारिसान वाद में वादी व प्रतिवादी सं० 3 के रूप में उपस्थित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व) /
भादग (जिला-हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही
 भोजा चक 10 बीएचडी के खाता सं० 48/114 के मु०न० 37 के किला न० 24/1, 25/1 मु०न०
 38 के किला न० 21/1 मु०न० 47 के किला न० 1, 10 मु०न० 48 के किला न० 4/1, 4/2,
 5/1, 5/2 6, 7, की कुल 1.1790है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही भोजा
 चक 10 बीएचडी के खाता सं० 52/26 के मु०न० 16 के किला न० 11/2, 12/1, 13/2,
 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1 मु०न० 37 के किला न० 16/3, 16/4
 17/2, 24/2, 25/3, 25/4 मु०न० 38 के किला न० 20/2, 21/2 की कुल 2.5660है०
 नहरी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 701/5132 हिस्सा व इसी प्रकार चक 11 बीएचडी के खाता
 सं० 12/30 के मु०न० 46 के किला न० 14 ता 18 की कुल 1.2650है० में प्रतिवादी सं० 1 के
 नाम 1/4 हिस्सा व चक राजपुरा बारानी के खाता सं० 15/21 के मु०न० 38 के किला न० 11,
 12, 19 ता 22 मु०न० 39 के किला न० 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1,
 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20 की कुल 6.0330है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/4 हिस्सा
 एवं डोभी बारानी के खाता सं० 52/36 के मु०न० 213 के किला न० 11 ता 14, 17 ता 24
 मु०न० 214 के किला न० 11, 12, 14 ता 20, 22 ता 25 की कुल 6.3000है० वारानी में प्रतिवादी
 के नाम 1069/6300 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 बलवान उर्फ
 बलवन्त का नाम कलमजन किया जाकर वादी मोनू व प्रतिवादी सं० 3 संजय संयुक्त रूप से
 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 2 मांगेराम को 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित
 किये जाते है।। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि
 कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
 किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा
 डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/05/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।



(शकुंतला चौधरी)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा (जिला हनुमानगढ़)
 भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठारीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

क्र. 20/2023

अन्याय

1. मोनू पुत्र स्व श्री स्तनसिंह पुत्र श्री बलवन्त उर्फ बलवन्त जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा तहसील त0 भादरा। वादी

बनाम

1. बलवान उर्फ बलवन्त पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र बलवान उर्फ बलवन्त जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा त0 भादरा।
3. संजय मारू पुत्र स्व0 श्री स्तनसिंह बलवन्त उर्फ बलवन्त जाति जाट निवासी ग्राम राजपुरा तहसील त0 भादरा।
4. ईमरती पुत्री बलवान पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी राजपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा। प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश वैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं0 48/114 के मु0न0 37 के किला न0 24/1, 25/1 मु0न0 38 के किला न0 21/1 मु0न0 47 के किला न0 1, 10 मु0न0 48 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 6, 7, की कुल 1.1790है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 10 बीएचडी के खाता सं0 52/26 के मु0न0 16 के किला न0 11/2, 12/1, 13/2, 14/2, 15/2, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1 मु0न0 37 के किला न0 16/3, 16/4, 17/2, 24/2, 25/3, 25/4 मु0न0 38 के किला न0 20/2, 21/2 की कुल 2.5660है0 नहरी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 701/5132 हिस्सा व इसी प्रकार चक 11 बीएचडी के खाता सं0 12/30 के मु0न0 46 के किला न0 14 ता 18 की कुल 1.2650है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 4/4 हिस्सा व चक राजपुरा बरानी के खाता सं0 15/21 के मु0न0 38 के किला न0 11, 12, 19 ता 22 मु0न0 39 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 20 की कुल 6.0330है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं डोभी बरानी के खाता सं0 52/36 के मु0न0 213 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 24 मु0न0 214 के किला न0 11, 12, 14 ता 20, 22 ता 25 की कुल 6.3000है0 बरानी में प्रतिवादी के नाम 1069/6300 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 बलवान उर्फ बलवन्त का नाम कलमजन किया जाकर वादी मोनू व प्रतिवादी सं0 3 संजय संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 मांगेराम को 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।



यह डिक्री आज दिनांक 24/05/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़